कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

आबकारी दुकानों के ई-आवंटन के संबंध में आवेदकों के लिये निर्देश

(वेबसाइट- www.upexciseelottery.gov.in)

1- ई-लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल पर किसी भी आवेदक को सर्व प्रथम अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय सर्वप्रथम उसको अपना मोबाइल नम्बर एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके मोबाइल नं० पर ओ०टी०पी० प्राप्त होगा; जिसे उसको यथा स्थान भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्टेशन का पेज खुल जायेगा जिसमें आवेदक को आधार न०, पैन नम्बर सहित कतिपय सूचनाएं भरनी होगी। आवेदक ई-मेल आई०डी० भी भर दें तो उचित होगा।

2- आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसको एक रजिस्टेशन आई०डी० प्राप्त होगी जो उसका यूजर नेम होगा तथा उसका मोबाइल नं० उसका पासवर्ड होगा।

3- उक्त रजिस्ट्रेशन आई०डी० एवं पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल में प्रवेश पा सकते है। प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिये कहा जायेगा। आवेदक को नया पासवर्ड जनरेट करना होगा तथा भविष्य में पंजीकरण संख्या एवं नये पासवर्ड के आधार पर ही पोर्टल में प्रवेश सम्भव होगा।

4- लागिन / प्रवेश करने के पश्चात् आवेदक को अपनी प्रोफाइल को भरना होगा। जिसमें उसे हैसियत प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ-पत्र की स्कैन कापी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। प्रोफाइल भरते समय हैसियत प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ-पत्र की स्कैन कापी (च्क्थ्ए फारमेट में 100 के०बी० तक) कम्प्यूटर में /पैनड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख आपके पास उपलब्ध रहे।

5- पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी जनपद की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं माॅडल शाप्स के सम्बन्ध में दुकान का नाम, एम०जी०क्यू०, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6- किसी दुकान के लिये वह इन सूचनाओं के आधार पर आवेदन के लिये तैयारी कर सकता है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, एवं माॅडल शाप्स की दुकानों के लिये देय प्रोसेसिंग फीस, जी०एस०टी० की धनराशि, अर्हताओं आदि का विवरण भी उसको पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। अतः आवेदन करने से पूर्व आवेदक का पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होना आवश्यक है।

7- सर्वप्रथम आवेदक आॅनलाइन आवेदन हेतु दुकान का चयन करेगा। यदि वह सहआवेदक के साथ आवेदन करता है, तो सहआवेदक का रजिस्ट्रेशन न० व मोबाइल न० एवं तत्पश्चात् सहआवेदक के मोबाइल न० पर प्राप्त ओ०टी०पी० भरना होगा। इसके बाद उसे ई-पेमेंट के माध्यम से प्रोसेसिंग फीस, जी०एस०टी० एवं धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी। यहां स्पष्ट करना है कि प्रथम आवेदक के प्रोफाइल में जो बैंक एकाउन्ट न० दिया जायेगा, वह उसी के नाम होना चाहिये और उसी एकाउन्ट से समस्त पेमेंट किये जायेंगें, अन्यथा उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

8- आवेदक को भरे हुये आवेदन पत्र की प्रिन्ट लेने की सुविधा होगी तथा पेमेंन्ट किये जाने से पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकता है लेकिन यदि उसके द्वारा ई पेमेंट कर दिया गया है तो कोई संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

9- आवेदक को समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एक पावती रसीद, जिसमें समस्त सूचनाये अंकित होगी, प्राप्त होगी जिसका वह प्रिन्ट ले सकता है।

10- आवेदक कृपया यह नोट कर लें कि आपका हैसियत प्रमाण पत्र आवेदित दुकान / दुकानों हेतु आवश्यक हैसियत से अधिक होना चाहिये, जिससे आप आवंटन हेतु अर्ह रहें।

1. तकनीकी निदेशक NIC इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. समस्त आबकारी निरीक्षक अपने क्षेत्रों में तहसील / जिला मुख्यालय विकासखण्ड मुख्यालय आदि सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करायें

(हस्ताक्षर) 20.2.18
जिला आबकारी अधिकारी
इलाहाबाद।